

साथीतय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भावरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठारीन अधिकारी :- भागीरथ राय तार.प.परा.

क्रमांक - 19/2019

1. हनुमानगढ़ जिला  
2. कुम्हार पुत्र कोशारायण जाति कुम्हार निवासी नेतराना तहसील भावरा जिला

-प्रार्थीगण

1. अर्धेन्द्र कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति कुम्हार निवासी नेतराना तहसील भावरा।

-अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 261 ए आरटीएक्ट  
उपस्थिति :- श्री विनोद सिंगाठिया प्रार्थीगण  
श्री वेद प्रकाश अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : - 24.02.2026

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही गौजा चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 43/35 के मु0न0 18 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18 की 2.655 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम बहिरसा बराबर दर्ज है एवं अप्रार्थी चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 270/241 के मु0न0 17 के किला नं0 19, 20, 21, 22 की 1.012 है0 मय रास्ता, मु0न0 18 के किला नं0 25 की 0.253 है0 मय रास्ता के नाम दर्ज है।

प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता मु0न0 18 के किला नं0 25 में उत्तर से दक्षिण रास्ता की आवश्यकता है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थी की कृषि भूमि के मु0न0 18 के किला नं0 25 में उत्तर से दक्षिण रास्ता लेना चाहता है प्रार्थीगण की कृषि भूमि के कोई रास्ता नहीं लगता है। रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि में से किला नं0 25 में एक बिस्वा उत्तर से दक्षिण रास्ता के रूप में स्वीकृति करवाना चाहता है जिसके बदले में प्रार्थीगण अप्रार्थी को मु0न0 18 के किला नं0 16 की दक्षिणी तरफ की एक बिस्वा कृषि भूमि देने हेतु तैयार है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तालब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र प्रार्थी के मुताबिक स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने अप्रार्थी की कृषि भूमि के मु0न0 18 के किला नं0 25 में पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण आवागमन के लिए रास्ता की

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,  
भावरा (जिला-हनुमानगढ़)

अवश्यकता है। इस हेतु अप्रार्थी सं० 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अनापत्ति प्रकट की।  
प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार  
या जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि चक 5 एनटीआर के मु०न०  
के किला नं० 25 में पश्चिमी तरफ एक बिस्वा उत्तर से दक्षिण रास्ता के रूप में स्वीकृति  
इसी चक के मु०न० 18 के किला नं० 16 में दक्षिणी तरफ एक बिस्वा भूमि का अप्रार्थी  
श्री कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में  
ल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक ~~24.02.2026~~ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में  
पेश किया गया।



(भागीरथ राम)

R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला-हनुमानगढ़